

an>

Title: Regarding alleged fraud committed by Post Office officials with farmers in rural areas of Kanpur.

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

आज भी देश का आम नागरिक बैंक और डाकघरों पर बहुत विश्वास करता है। हमारे क्षेत्र में, मैं सदन और सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश जनपद कानपुर नगर के ग्रामीण अंचल में किसानों के साथ डाक विभाग के कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी और जालसाजी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

कानपुर नगर की शाखा डाकघर पिपरगवां में तैनात तत्कालीन शाखा पोस्टमास्टर अंकित अवस्थी, निवासी 83/92, छोटी जूही कानपुर नगर ने बड़ी संख्या में किसानों द्वारा अपने खातों में जमा करने के लिए टी गई धनराशि का गबन कर लिया। इसकी प्रथमिकी थाना बिधनू में अपराध संख्या 2204/21/2016 में दर्ज की गई है। एफ.आई.आर. दर्ज करने के बावजूद अभी तक अधिकारियों द्वारा माना गया है कि मात्र 65 लाख रुपये का गबन किया गया है, जबकि कम से कम 5 करोड़ का गबन उस अधिकारी के द्वारा किया गया है।

महोदया, आपसे अनुरोध है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच करा करके, गरीब किसानों ने जो किसी तरह से पैसा संचित करके डाक घरों में जमा किया था, उनके पैसे वापस दिलाये जाने की तुरन्त व्यवस्था करने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री भौरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह कन्देल को श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति पदान की जाती है।

13.00 hours